न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक

(पीठासीन अधिकारीः सी0 एल0 शर्मा, आर.ए.एस.)

दावा सं0—38 / 2016

प्रविष्टि दिनांक— 29.08.2018

1. सोहेब पुत्र श्री अब्दुल अजीज कुरेशी उम्र 28 साल साकिन मोतीबाग, कब्रिस्तान के पास, टोंक राज0
2. सोहेल पुत्र री अब्दुल अजीज कुरेशी उम्र 26 साल साकिन मोतीबाग, कब्रिस्तान के पास, टोंक राज0
3. हबीब उर्फ शेर खां पुत्र श्री अहमद कुरेशी साकिन मौलहल्ला कालीपलटन, टोंक राज0
4. मुन्ना पुत्र श्री अहमद कुरेशी साकिन कालीपलटन, टोंक राज0

वादीगण

बनाम

1. शाह अकबर पिसरान मौहम्मद शकील साकिन गुलजार बाग, टोंक राज0
2. शाहनवाज पिसरान मौहम्मद शकील साकिन गुलजार बाग, टोंक राज0
3. मौहम्मद सोहेल पिसरान मौहम्मद शकील साकिन गुलजार बाग, टोंक राज0
4. मसर्रत जहां पुत्रियां मौहम्मद शकील साकिन गुलजार बांग, टोंक राज0
5. फरहत जहां पुत्रियां मौहम्मद शकील साकिन गुलजार बांग, टोंक राज0
6. मुस0 तय्यब बी बेवा स्व0 मौह शकील साकिन गुलजार बाग, टोंक
7. मौहम्मद अहमद पुत्र अब्दुल हफीज साकिन गुलजार बाग, टोंक।
8. तहसीलदार, टोंक राज0 (लेण्ड हॉल्डर)

प्रतिवादीगण

उपस्थित— —वकील योगेश व्यास वादीगण
वकील कृष्ण गोपाल शर्मा प्रतिवादीगण

निर्णय

दावा बाबत् उद्घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा

दिनांक : 22/01/2019

वाद पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रकरण माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर ने दिनांक 25.05.2018 को इस प्रकार आदेश जारी किया कि ''वकील प्रार्थी को प्रार्थना पत्र अपील वीड्रो पर सुना गया। वकील अपीलान्ट निवेदन किया कि वे प्रकरण को आगे चलाना नही चाहते है ओर न ही प्रकरण में किसी प्रकार की कोई आगे कार्यवाही चाहते है अतः प्रकरण को जरिये वीड्रोल खारिज फरमायी जावें। वकील अपीलान्टस द्वारा प्रकरण को आगे नही चलाने के कारण जरिये विड्रोल प्रकरण को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।'' उक्त आदेश की पालना में न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, टोंक के निर्णय दिनांक 22.02.2016 की पालना की जानी है। राजस्व अपील अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार प्रकरण में निम्न आदेश जारी किये ''अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.07.2015 को अपास्त किया जाता है, तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में इस निर्देश के साथ प्रस्तुत किया जाता है कि वाद में प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा प्राप्त करे, तथा दावे व जवाब दावे के आधार पर विवाद्यक कायम करे, तत्पश्चात उभयपक्ष को मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर, गुणावगुण के आधार पर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे।''

वाद पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान को तलब किया गया। पक्षकारों ने जरिये अधिवक्ता आपसी सहमति से स्वंय उपस्थित न्यायालय होकर लिखित राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण में पक्षकारान के मध्य लोक अदालत की भावना से तथा बड़े बुजुर्गो की समझाईश से राजीनामा हो गया है। प्रतिवादी सं0 1 लगायत 5 के पिता व प्रतिवादी सं0—6 के पति स्व0 मोहम्मद शकील व प्रतिवादी सं0—7 अहमद तथा उनकी माता स्व0 शमशूदजहां ने दिनांक 07.11.2000 को उपरोक्त आराजी खसरा नम्बर 6573

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज0)

Scanned by CamScanner

रकबा 11 बीघा 16 बिस्वा भूमि का बेचान वादीगण को कर दिया था। उक्त बेचान की राशि उसी समय प्राप्त कर ली थी एवं उक्त आराजी पर वास्तविक कब्जा वादीगण का करा दिया था। वादीगण ही उपरोक्त आराजीयात को दिनांक 07.11.2000 से काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण का ही उपरोक्त आराजीयात पर बहैसियत मालिक कब्जा है। उपरोक्त आराजी खसरा नम्बर 6573 रकबा 11 बीघा 16 बिस्वा वाके कस्बा टोंक शर्की की खातेदारी वादीगण को दे दी जावे तो उसमें प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति व उज्र नही है तथा उक्त आराजी का खातेदार व काश्तकार वादीगण को घोषित कर दिया जावें। अतः प्रार्थना पत्र राजीमाना प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त खसरा नम्बर 6573 रकबा 11 बीघा 16 बिस्वा वाके कस्बा शर्की टोंक का मालिक, खातेदार, काश्तकार वादीगण को घोषित कर दिया जावे एवं राजीनामा तस्दीक कर बरूए राजीनामा वाद का निस्तारण फरमाया जावे।

राजीनामा पढकर पक्षकारों को सुनाया जाकर बाद स्वीकारोक्ति राजीनामा तस्दीक किया गया।

हमने पत्रावली पर उपस्थित वादपत्र, राजीनामा एंव साक्ष्य दस्तावेजो का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषक को सुना। पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होनें आपसी सहमति एवं बडे बजुर्गो की समझाईश से घरेलु विवाद को निपटाने एवं परिवार में शांती बनाए रखने हेतु वादग्रस्त भूमि का बटवारा किया है। इसलिए पक्षकारान के मध्य शांति एवं सदभावना बनाए रखने एवं अनावश्यक विवाद नहीं होने की दृष्टि से उक्त राजीनामा के अनुसार वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 6573 रकबा 11 बीघा 16 बिस्वा वाके कस्बा शर्की टोंक का वादीगण सोहब, सोहेल पुत्र अब्दुल अजीज व हबीब उर्फ शेर खां, मुन्ना पुत्र अहमद कुरेशी को खातेदार घोषित किया जाना यह न्यायालय उचित समझता है।

आदेश

फलतः वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 6573 रकबा 11 बीघा 16 बिस्वा वाके कस्बा शर्की टोंक का वादीगण सोहब, सोहेल पुत्र अब्दुल अजीज व हबीब उर्फ शेर खां, मुन्ना पुत्र अहमद कुरेशी को खातेदार, काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार टोंक उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन कर, पालना से अवगत करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22/01/2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सी0 एल0 शर्मा)

उपखण्ड अधिकारी, टोंक

उपखण्ड अधिकारी

टोंक (राज.)

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक (राज0)

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

मुकाम टोंक व अलजाम सी0एल0शर्मा, आर.ए.एस. द्वारा अध्याशित

वाद पत्र सं0–38/2016

उनवान

5. सोहेब पुत्र श्री अब्दुल अजीज कुरेशी उम्र 28 साल साकिन मोतीबाग, कब्रिस्तान के पास, टोंक राज0
6. सोहेल पुत्र री अब्दुल अजीज कुरेशी उम्र 26 साल साकिन मोतीबाग, कब्रिस्तान के पास, टोंक राज0
7. हबीब उर्फ शेर खां पुत्र श्री अहमद कुरेशी साकिन मौलहल्ला कालीपलटन, टोंक राज0
8. मुन्ना पुत्र श्री अहमद कुरेशी साकिन कालीपलटन, टोंक राज0

वादीगण

बनाम

9. शाह अकबर पिसरान मौहम्मद शकील साकिन गुलजार बाग, टोंक राज0
10. शाहनवाज पिसरान मौहम्मद शकील साकिन गुलजार बाग, टोंक राज0
11. मौहम्मद सोहेल पिसरान मौहम्मद शकील साकिन गुलजार बाग, टोंक राज0
12. मसर्रत जहां पुत्रियां मौहम्मद शकील साकिन गुलजार बांग, टोंक राज0
13. फरहत जहां पुत्रियां मौहम्मद शकील साकिन गुलजार बांग, टोंक राज0
14. मुस0 तय्यब बी बेवा स्व0 मौह शकील साकिन गुलजार बाग, टोंक
15. मौहम्मद अहमद पुत्र अब्दुल हफीज साकिन गुलजार बाग, टोंक।
16. तहसीलदार, टोंक राज0 (लेण्ड हॉल्डर)

प्रतिवादीगण

उपस्थित– –वकील योगेश व्यास वादीगण
वकील कृष्ण गोपाल शर्मा प्रतिवादीगण

दावा बाबत् उद्घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी, टोंक व हाजरी वकील वादी मिनजामिन मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी जाती है कि

वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 6573 रकबा 11 बीघा 16 बिस्वा वाके कस्बा शर्की टोंक का वादीगण सोहब, सोहेल पुत्र अब्दुल अजीज व हबीब उर्फ शेर खां, मुन्ना पुत्र अहमद कुरेशी को खातेदार, काश्तकार वादीगण को घोषित किया जाता है। तहसीलदार टोंक उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन कर, पालना से अवगत करावें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख २१/०१/२०१९ को जारी किया गया।

(सी0एल0शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी, टोंक

मोहर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प वजह सबूत महन्तनामा वकील खर्चा गवाहन फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	शून्य	शून्य	स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामा महन्तनामा वकील खर्चा गवाहन फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	शून्य	शून्य
मीज़ान			मिज़ान		

उपखण्ड अधिकारी, टोंक
टोंक (राज0)

Scanned by CamScanner